



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
भुज नागर विमानक्षेत्र, CIVIL ENCLAVE, BHUJ



संदर्भ सं: भाविप्रा/भुज/2023/वाणिज्य/स्नैक्स-बार/

दिनांक: 01.08.2023

सेवा में,

वीआईपी सर्विसेस,

दुकान नंबर 1,

मकान नंबर. 50, लौउ खेड़ी, हवाई अड्डा

भोपाल - 462036

विषय : भुज हवाईअड्डे पर खाद्य व पेय पदार्थ आउटलेट (स्नैक बार) के लाइसेंस हेतु कार्यादेश।

Award of Work for 'License for F&B outlet (Snack Bar) at Bhuj Airport'.

महोदय,

निविदा सं. 2023_AAI_153591 में आपकी भागीदारी के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भुज हवाई अड्डे पर खाद्य और पेय पदार्थ आउटलेट (स्नैक बार) के लिए मेसर्स वीआईपी सर्विसेस को नीचे दिए गए एनआईटी में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए (प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष के लिए विस्तार योग्य) लाइसेंस हेतु कार्यादेश जारी करने में प्रसन्नता जाहिर करती है:

With reference to your tender participation in 2023_AAI_153591, the competent authority Airports Authority of India, is pleased to Award of Contract for **License for F&B outlet (Snack Bar)** at Bhuj Airport to **M/s VIP services** for a period of One Year ((Extendable upto one year , based on Performance) after completion of all formalities mentioned in the NIT as given below:

1. लाइसेंसधारी लाइसेंस की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उद्धृत दर के अनुसार प्रति माह एक निश्चित गारंटी राशि (एमएमजी) यानी रु. 51,999/- का भुगतान करेगा।

The Licensee shall pay to the AAI for the period of License, a fixed guaranteed amount per month (MMG) as per the quoted rate i.e. Rs. 51,999/-.

C.E.BHUIJ-370001



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
भुज नागर विमानक्षेत्र, CIVIL ENCLAVE, BHUJ



2. क्षेत्रफल: 11.1 वर्गमीटर, टर्मिनल भवन (एसी स्पेस) में निम्नानुसार:
 - i. 6.1 वर्गमीटर. चेक-इन हॉल में
 - ii. 5 वर्गमीटर. SHA मेंArea: **11.1 sqmt.** in Terminal Building (AC Space) as follows:
 - 6.1 sq.mtr. in check-in-Hall
 - 5 sq.mtr. in SHA.
3. लाइसेंसधारी को लाइसेंस शुल्क पर 10% उपयोगिता शुल्क के साथ 18% जीएसटी और किसी भी अन्य वैधानिक कर का भुगतान करना होगा, जो समय-समय पर भारत सरकार/अन्य सरकारी संगठनों द्वारा लागू किया गया हो।

Licensee have to pay 10 % utility charges on License Fee along with 18 % GST and any other statutory tax as applicable and as decided by the Government of India/other Government Organizations from time to time.
4. लाइसेंस शुल्क 10% की वार्षिक वृद्धि के अधीन होगा।

License Fees shall be subject to annual escalation of 10%.
5. लाइसेंसधारी को बिल में उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर मासिक आधार पर वास्तविक खपत के अनुसार बिजली और पानी के उपयोग शुल्क का भुगतान करना होगा।

Licensee have to pay the electricity & Water usage charges as per actual consumption on monthly basis within a stipulated period as mentioned in the bill.
6. जेस्टेशन की अवधि पुरस्कार पत्र जारी होने या सुविधा के वास्तविक प्रारंभ होने की तारीख से शुरू होकर अधिकतम 90 दिन हैं, जो भी पहले हो, की अनुमति होगी।

Gestation period is maximum of 90 days starting from the date of issue of award letter or actual commencement of facility whichever is earlier will be allowed.
7. साइट को सौंपने/कब्जे में लेने पर कार्यालय में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

Handing over/taking over of the site should be signed in office.

8. निम्नलिखित में से किसी का अनुपालन न करने के कारण ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और तीन साल की अवधि के लिए एएआई की निविदा में आगे भाग लेने से रोका जा सकता है:
The EMD shall be forfeited and you may be debarred from further participation in AAI's tender for a period of Three years on account of noncompliance with any of the following:

- i. पुरस्कार पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव की स्वीकृति कृपया इस कार्यालय को भेजें।

Acceptance of the offer within 10 days of the receipt of award letter may please be sent to this office.

- ii. पुरस्कार पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर एक महीने के लिए अग्रिम लाइसेंस शुल्क का भुगतान (रु. 51,999/- + रु. 5,200/- (उपयोगिता शुल्क: एलएफ का 10%) + रु. 10,296/- (18% जीएसटी) = रु. 67,495) करें।

Deposit payment of advance License Fee for one month (Rs.51,999/- + Rs. 5,200/- (utility charge :10% of LF) + Rs. 10,296/- (18 % GST)= Rs. 67,495) within 15 days of award letter .

- iii. निष्पादन सुरक्षा जमा का भुगतान पुरस्कार पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर, 03 माह की लाइसेंस फीस की राशि ब्याज मुक्त सुरक्षा के रूप में + 10% उपयोगिता सुविधा शुल्क (अर्थात रु. 1,55,997 + रु. 15600/- = रु. 1,71,597) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बीजी के रूप में एएआई को जमा की जाये। (सहकारी बैंक से बैंक गारंटी, यहां तक कि अनुसूचित भी, स्वीकार नहीं की जाएगी).

Payment of Performance Security Deposit within 15 days from the date of issuance of award letter, amounting to 03 months license fee of the First year +10% utility facilitation charges to AAI as an interest free security Deposit (i.e. Rs. 1,55,997 + Rs. 15600/- = Rs. 1,71,597)to be submitted in the form of BG from any scheduled commercial bank (Bank Guarantee from co-operative bank, even scheduled, will not be accepted).



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
भुज नागर विमानक्षेत्र, CIVIL ENCLAVE, BHUJ



- iv. अनुबंध प्रारंभ होने से पूर्व अनुबंध का निष्पादन, अन्यथा अनुबंध 61वें दिन से प्रारंभ माना जायेगा। समझौता 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर चार प्रतियों में निष्पादित किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रति पर लाइसेंसधारी का एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाया जाता है।

Execution of the agreement before commencement of the contract, else the contract is deemed to be started from 61st day. The agreement should be executed on non-judicial stamp paper of Rs. 100/- in quadruplicate and a passport size photograph of the Licensee is pasted on each copy.

9. लाइसेंसधारी को पानी/बिजली के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में रु. 32,759/- सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा।

The Licensee shall pay security deposit equal to **Rs. 32,759/-** for water/electricity in advance.

10. टर्मिनल भवन में प्रवेश के लिए फोटो पहचान पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर काउंटर पर मैनिंग का आदेश प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा। जिसके लिए पुलिस विभाग से पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक है।

अपने कर्मचारियों के लिए पीआईसी जारी करने का शुल्क जमा किया जाना चाहिए।

Photo Identification Card for entry into the terminal building for person manning the counter will be issued by the Authority on production of Character and Antecedents verification certificate from the Police department & necessary fee for issue of PICs for their staff should be deposited.

11. लाइसेंसधारी विज्ञापन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित स्थान का उपयोग नहीं करेगा, जो समझौते से जुड़ा नहीं है।

The licensee shall 'NOT' use the space for advertisement or any other purpose not connected with the agreement.

12. दुकान परिसर के सामने या पीछे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं है।

No advertisements are permitted on front or back side of shop premises.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
भुज नागर विमानक्षेत्र, CIVIL ENCLAVE, BHUJ



13. लाइसेंसधारी को एएआई या उसके प्रतिनिधि की संतुष्टि के अनुसार परिसर को साफ सुथरा रखना होगा।
Licensee will keep the premises in a clean and tidy condition to the satisfaction of AAI or its representative.
14. लाइसेंसधारी एएआई द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार स्नैक बार काउंटर का निर्माण अपने खर्च से करेगा।
Licensee shall fabricate the Snack bar counter by his own expense as per design approved by AAI.
15. लाइसेंसधारी को सुविधा शुरू करने से पहले (अर्थात जेस्टेशन की अवधि 90 दिन के भीतर या अनुबंध की शुरुआत, जो भी पहले हो) बीसीएस मंजूरी एवं सेक्युरिटी प्रोग्राम अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
Licensee should obtain BCAS clearance and get security program approved before starting facility (i.e. within gestation period of 90 days or commencement of contract whichever is earlier).
16. लाइसेंसधारी के स्टाफ या संपत्ति को किसी भी तरह से हुई हानि या क्षति के लिए एएआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
AAI shall not be responsible in any way for the loss or damage by any means caused to the licensee staff or property.
17. लाइसेंसधारी अपने स्थायी कर्मचारियों को तैनात करेगा और समय-समय पर लागू कानून के तहत आवश्यक सभी आवश्यक परमिट प्राप्त करेगा। लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन और ई.एस.आई., पी.एफ., ग्रेच्युटी, बोनस आदि के लाभों के भुगतान के संबंध में न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों का भी पालन करेंगे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस संबंध में किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा।

The licensee shall deploy his permanent employees and obtain all necessary permits as required under law in force, from time to time. You will also observe and comply with the provisions of Minimum Wages Act regarding payment of wages and benefits of



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
भुज नागर विमानक्षेत्र, CIVIL ENCLAVE, BHUJ



E.S.I., P.F., Gratuity, Bonus, etc. for the employees engaged by you and the Airports Authority of India shall not be liable in this regard in any manner.

18. उपरोक्त सभी अनुबंध के निविदा दस्तावेजों के साथ समझौते का हिस्सा बनेंगे।

All the above will form part of the agreement along with the tender documents of contract.

आपसे अनुरोध है कि निर्धारित अवधि के भीतर औपचारिकताएं पूरी करें। कृपया पत्र की प्राप्ति और कार्यादेश की स्वीकृति की सूचना दी जाए।

You are requested to complete the formalities within stipulated period time. Receipt of the letter and acceptance of work award may please be acknowledged.

भवदीय,

(Handwritten signature)
01/08/23

(नवीन कुमार सागर)

विमानपत्तन निदेशक, भुज

प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबंधक(वाणिज्य), पश्चिम क्षेत्र-मुम्बई